

— आदेश —

भुगतान राशि, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला पटना के पत्र संख्या-02/आप्र0 दिनांक-11.04.17 द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य बजट शीर्ष-2245 प्राकृतिक विधति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02 बाढ़ चक्रव्यार आदि, लघुशीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010005, युनिट कोड- 3501 नगद/ वस्तु मांग संख्या-39 के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन मो०- 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रुपये मात्र में से विभाजित अंचल पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित राशि का उपावटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि उपावटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अग्नि से प्रभावित/पीड़ित परिवारों के वीव भुगतान की गई राशि के समायोजन विभागीय मानदर/सरकारी दिशा-निर्देशों के आलोक में करेंगे तथा किसी भी स्थिति में राशि का विफल नहीं करेंगे। यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखेंगे तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दि० 31.03.2018 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 (वि०(2)) दि०-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाय। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा० ही जिम्मेदार होंगे।

आपदा प्रभावित परिवारों को देय की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आप्र0 दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपावटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	अंचल पदा० का नाम	अग्निकांड से प्रभावित परिवारों की सं०			विभाग से प्राप्त आवंटन राशि	शीर्ष 2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान (@3000)			अवशेष राशि
		पूर्व सं०	वर्तमान सं०	कुल सं०		पूर्व उपावटित राशि	वर्तमान उपावटित राशि	कुल उपावटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कटिहार	4	9	13	15,00,000.00	12,000.00	27,000.00	39,000.00	2,13,000.00
2	हसनगंज	5	7	12		15,000.00	21,000.00	36,000.00	
3	डंडखोरा	25		25		75,000.00		75,000.00	
4	कोढ़ा	14	3	17		42,000.00	9,000.00	51,000.00	
5	समेली	4		4		12,000.00		12,000.00	
6	फलका	6	6	12		18,000.00	18,000.00	36,000.00	
7	बरारी	24	16	40		72,000.00	48,000.00	1,20,000.00	
8	कुर्सेला	3		3		9,000.00		9,000.00	
9	मनसाही	1		1		3,000.00		3,000.00	
10	प्राणपुर	9		9		27,000.00		27,000.00	
11	बारसोई	58		58		1,74,000.00		1,74,000.00	
12	बलरामपुर	12		12		36,000.00		36,000.00	
13	कदवा	10		10		30,000.00		30,000.00	
14	आजमनगर	122		122		3,66,000.00		3,66,000.00	
15	मनिहारी	9	3	12		27,000.00	9,000.00	36,000.00	
16	अमदाबाद	76	3	79		2,28,000.00	9,000.00	2,37,000.00	
कुल योग		382	47	429	15,00,000.00	11,46,000.00	1,41,000.00	12,87,000.00	2,13,000.00

(मो० एक लाख एकतालीस हजार) रुपये मात्र।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 508/आप्र० II-I & IV-01/2017-18, दिनांक 26/03/18

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार एवं मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।